HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 17116/2025

Akbar Khan S/o Sarasmal @ Audi Khan, Aged About 19 Years, R/o Padliya, Police Station Malakhera, District Alwar, Rajasthan. (Petitioner Is In Judicial Custody In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह तृतीय जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना मालाखेड़ा जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 317/2024 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी की जमानत का द्वितीय प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.10.2025 को निरस्त होने के बाद उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग 4 माह और बढ़ चुकी है। दिनांक 14.10.2025 के बाद प्रकरण में सहअभियुक्त वसीम को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि अभियुक्त दिनांक 22.07.2024 से अभिरक्षा में है और उसकी कुल अभिरक्षा अवधि लगभग 1 वर्ष 7 माह हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि निर्धारित समयावधि में विचारण पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही पूर्व में केवल अभियुक्त के विरूद्ध ही विचारण चल रहा था जिसमें केवल चार गवाह ही परीक्षित होना शेष रहे थे परंतु उसके उपरांत अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध भी आरोप–पत्र पेश हुआ है, उनका विचारण भी प्रार्थी/अभियुक्त

के साथ ही किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपना विचारण पृथक से किए जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया था जो आदेश दिनांक 28.10.2025 से निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार से अभी विचारण समाप्त होने में और लम्बा समय लगेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त जो घटना के समय 19 वर्ष का था और उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक मामला नहीं है, उसकी अभिरक्षा अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी प्रकरण में प्रमुख अभियुक्त है। पूर्व में उसकी जमानत के प्रार्थना–पत्र दो बार गुणावगुण पर निरस्त किए जा चुके हैं और प्रार्थी के मोबाइल फोन से ठगी करने की सात शिकायतें दर्ज हें। वह आदतन अपराधी है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से प्राप्त मोबाइल पर कुल सात ऑनलाइन साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज होना पाया गया है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के दो जमानत प्रार्थना–पत्र गुणावगुण पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2024 एवं 14.10.2025 को निरस्त किए जा चुके हैं। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि दिनांक 14.10.2025 के बाद सहअभियुक्त वसीम को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तो हमारे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा स्वयं को बैंक में सहायक प्रबंधक होना बताकर मकान किराए पर लेना कहकर प्राप्त अग्रिम किराए की अधिक राशि जमा कराने एवं बाद में अतिरेक राशि को लौटाने के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। जबकि वसीम खान द्वारा ऐसी ठगी किए जाने का आक्षेप नहीं है, उसके खाते में 36 हजार रूपये की ठगी की रकम प्राप्त होना बताया गया है, अतः उसका मामला प्रार्थी/अभियुक्त के मामले से सर्वथा भिन्न है और इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के आरोप हैं।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा अभियुक्त विभिन्न तरीकों से साइबर ठगी में लिप्त रहते हैं। इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

विचारण न्यायालय से यह आग्रह किया जाता है कि यथासंभव शीघ्र प्रकरण का विचारण पूर्ण करें।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /31